पत्रावली [illegible] ... [illegible] किया गया।
पत्रावली वादे बहस हेतु दिनांक 30-8-22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर [illegible]

पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित है/
नहीं [illegible]
का [illegible]
आज [illegible] .... को [illegible]

30.8.22

20.9.22

न्यायालय सहायक कलेक्टर [illegible]

20/9/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादे बहस हेतु पत्रावली दिनांक 27.9.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर [illegible]

27/9/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वादे आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 11.10.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर [illegible]

11/10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। [illegible] के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वादे आदेश दिनांक 18.10.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर [illegible]

18/10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 09 / 2022
दायर दिनांक :– 21.03.2022

अनवान

श्रीमति रमेश देवी बेवा राधेश्याम मीणा निवासी कुचलवाडाखुर्द तहसील जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. फेफा पुत्र माधू मीणा निवासी कुचलवाड़ाखुर्द तहसील जहाजपुर
2. मदन लाल पिता फेफा मीणा निवासी कुचलवाड़ाखुर्द तहसील जहाजपुर
3. श्रीमति ललिता पत्नी मदन लाल मीणा निवासी कुचलवाड़ाखुर्द तहसील जहाजपुर
4. तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5. तहसीलदार एंव पदेन उपपंजीयक जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अमित बडला, एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री दीपक पंचोली, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 18.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम कूचलवाडा खुर्द पटवार हल्का टीकड़ मे स्थित आराजी संख्या 140 रकबा 1–16 बीघा, आराजी संख्या 141 रकबा 1–19 बीघा, आराजी संख्या 143 रकबा 1–11 बीघा, आराजी संख्या 176 रकबा 8–06 बीघा आराजी संख्या 179 / 2 रकबा 1–10 बीघा, आराजी संख्या 182 रकबा 2–03 बीघा पूर्व मे प्रार्थीया के मृतक पति राधेश्याम एंव अप्रार्थी संख्या 1 एंव 2 के पूर्वज श्री माधू जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी श्री माधू जी के देहावसान के बाद मे उक्त आराजीयात विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 एंव उसके भाई चन्दा पिता माधू के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई श्री चन्दा के देहावसान के बाद में उसके हिस्से की भूमि उनके वारिसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकित हुई श्री चन्दा के वारिसान एंव अप्रार्थी संख्या 1 दोनो ने ही आपसी सहमति से उक्त भूमियो का हिस्से अनुसार बंटवारा करा लिया बाद बंटवारा अप्रार्थी सख्या 1 फेफा के हिस्से मे रही भूमिया जिनके खसरा नम्बर 140 रकबा 1–16 बीघा, आराजी सख्या 682 / 141 रकबा 0–19 बीघा, आराजी संख्या 683 / 143 रकबा 0–15 बीघा, आराजी सख्या 686 / 176 रकबा 4–00 बीघा, आराजी संख्या 687 / 178 रकबा 0–03 बीघा, आराजी सख्या 688 / 182 रकबा 1–01 बीघा कुल किता 6 रकबा 8–14 बीघा रही। उक्त वर्णित भूमियो मे श्री फेफा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर रही भूमिया जो कि प्रार्थीया की भी पुश्तेनी भूमिया है तथा

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

nned with CamScanner

प्रार्थीया वर्तमान मे भी मौके पर 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीया के द्वारा अपने हिस्से की भूमियो पर मेड़ कर रखी है जो कि मौके पर वर्तमान में भी है तथा प्रार्थीया के द्वारा अपने हिस्से की भूमियो मे वर्तमान में भी इस साल सरसो की फसल काश्त करी थी पूर्व के खातेदार माधू के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है

माधू फौत

- फेफा
  - मदन लाल
    - ललिता
  - राधेश्याम फौत
    - रमेश देवी
- चन्दा फौत

अनुसार सजरा के वादग्रस्त भूमियो मे श्री फेफा जी के नाम की भूमियो मे प्रार्थीया का भी अप्रार्थी संख्या 2 के बराबर का हक एंव हिस्सा होकर श्री फेफा के द्वारा आज से लगभग 15 साल पूर्व ही उसके दोनो ही पुत्रो प्रार्थीया के. पति एंव अप्रार्थी संख्या 2 मदन लाल को बराबर बराबर हिस्सा कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था और तभी से प्रार्थीया के पति के जीवन काल मे प्रार्थीया का पति एंव उनके देहावसान के बाद से प्रार्थीया बराबर उसके हिस्से मे रही भूमियो पर बराबर काबिज होकर काश्त करती कराती चली आ रही है जिसकी जानकारी आस पास के व्यक्तियो के साथ साथ ग्राम एंव समाज के लोगो को भी है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित भूमियो मे से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे रही भूमिया जिनके खसरा नम्बर 140 रकबा 1–16 बीघा, आराजी संख्या 682/141 रकबा 0–19 बीघा, आराजी संख्या 683/143 रकबा 0–15 बीघा, आराजी संख्या 686/176 रकबा 4–00 बीघा, आराजी संख्या 687/176 रकबा 0–03 बीघा, आराजी संख्या 688/182 रकबा 1–01 बीघा कुल किता 6 रकबा 8–14 बीघा मे से खसरा संख्या 687/176 मे पूरे हिस्से मे एंव खसरा संख्या 140 मे से कुछ हिस्से पर से सड़क निकले के कारण उसे अवाप्त कर ली बाद अवाप्ति खसरा संख्या 140 के नये नम्बर 140/2 हो गये। प्रार्थीया के पति का देहावसान दिनांक 02.05.2021 को हो गयी है। तथा प्रार्थीया के कोई भी सन्तान नही होने के कारण प्रार्थीया के पति के देहावसान होने के लगभग 2 ढाई माह बाद ही दिनांक 23.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के वृद्धावस्था एंव दीमागी रूप से अस्वस्थता का नाजायज लाभ उठा अप्रार्थी संख्या 1 को उपपंजीयक कार्यालय जहाजपुर ला उसके नाम की भूमियो मे से खसरा संख्या 140/2 रकबा 1–08 बीघा, आराजी संख्या 688/143 रकबा 0–11 बीघा कुल किता 2 रकबा 1–19 बीघा एंव आराजी खसरा संख्या 685/176 रकबा 3–17 बीघा मे से 40/77 को अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पर विकावनामा लिखवा उसका पंजीयन करवा लिया और बिकावनामे के आधार पर विकावनामे मे वर्णित भूमियो को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकित करवा ली जबकि मोके पर उक्त भूमियो मे से खसरा संख्या 140/2, 683/143 मे आधे हिस्से पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रार्थीया का जेठ हे तथा अप्रार्थीया संख्या 3 जो कि प्रार्थीया की जेठानी होकर उनके द्वारा प्रार्थीया के श्वसूर के दीमागी रूप से बीमारी एंव वृद्वावस्था का लाभ उठा विकावनामे मे पारिवारिक कार्य के लिये। रूपयो की आवश्यकता होना बता विकावनामा लिखवाया है जबकि विकेता फेफाराम के ना तो किसी प्रकार की कोई पारिवारिक कार्य के लिये रूपयो की आवश्यकता है और ना ही उसे उक्त भूमि को बेचान करने की जानकारी हे इस कारण अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थीया संख्या 3 के पक्ष मे लिखवाया गया। बेचाननामा प्रार्थीया के हितो के मुकाबले शून्य है और प्रार्थीया को उसे कानूनन प्राप्त विधिक अधिकारो पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही डालता है। प्रार्थीया की वादग्रस्त भूमिया जो कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 एंव 2 की पुश्तेनी भूमिया होने के कारण प्रार्थीया का भी उक्त भूमियो मे अपने पति के देहावसान होने के बाद हिस्सा होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आज से लगभग 15 साल पूर्व ही प्रार्थीया के पति एंव अप्रार्थी संख्या 2 को बराबर बराबर बंटवारा कर दिये जाने के बाद से ही प्रार्थीया के पति के जीवन काल मे प्रार्थीया का

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

पति एंव उनके देहावसान के बाद से प्रार्थीया बराबर वादग्रस्त भूमियो मे से उसके हिस्से मे रही भूमियो पर बराबर काबिज होकर काश्त कर रही है मोके पर प्रार्थीया के काबिज होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी वृद्वावस्था एंव मानसिक एंव दीमागी रूप से अस्वस्थ होने का फायदा उठा उन पर बेजा दबाव बना बिना उनकी जानकारी के वादग्रस्त भूमियो मे से खसरा संख्या 140/2 रकबा 1–08 बीघा, आराजी संख्या 688/143 रकबा 0–11 बीघा कुल किता 2 रकबा 1–19 बीघा एंव आराजी संख्या 685/176 रकबा 3–17 बीघा मे से 40/77 को अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पर बिकावनामा लिखवा उसका पंजीयन करवा लिया जबकि प्रार्थीया का उक्त भूमियो के आधे हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की जानकारी सहमति से निरन्तर विगत लगभग 15 से अधिक सालो से बराबर काश्त होकर कब्जा मुखालपाना भी है इस कारण भी अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी 2 के सहयोग से अप्रार्थी संख्या 1 से उनकी जानकारी एंव सहमति के लिखवाया गया बिकावनामा प्रार्थीया के हितो पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव जही डालता है। प्रार्थीया वादग्रस्त खसरा संख्या 140/2 रकबा 0.3024 हैक्टेयर 682/141 रकबा 0.2052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 688/182 रकबा 0,2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 683/143 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/176 रकबा 0.8316 हेक्टेयर में अपने आप को 1/2 हक एंव हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है और इसके लिये प्रार्थीया की और से अलग से प्रार्थनापत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमियो मे उसे बंटवारे मे मिले हिस्से में बराबर बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपनी पत्नी अप्रार्थीया संख्या 3 के नाम पर भूमि दर्ज कराने की बाद मे ग्राम एंव समाज मे उसके नाम पर दर्ज हुई भूमियो को किसी अन्य को हस्तान्तरित करने की चर्चा कर रही है इस कारण प्रार्थीया को लग रहा है कि अप्रार्थी संख्या 3 वादग्रस्त भूमिया जो कि उसने अपने पति अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर गलत तरीके से अपने नाम पर दर्ज करवायी है को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर सकती है इसलिये प्रार्थीया के यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीया न्यायालय आप से अप्रार्थी संख्या 1 एंव 3 को पाबन्द करावे कि वो खसरा संख्या 140/2 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आ.न. 682/141 रकबा 0.2052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 688/182 रकबा 0.2266 हेक्टेयर, खसरा संख्या 683/143 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/176 रकबा 0.8316 हेक्टेयर को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे करावे और ना ही प्रार्थीया को उसके शान्तिपूर्ण तरीके से चले आ रहे कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर कराने और इसके लिये प्रार्थीया की और से अलग से प्रार्थनापत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश है। बाद घोषणा प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार प्रार्थीया के हक एव हिस्से मे रही भूमियो का मौके पर पूर्व से हो रहे बंटवारे एंव मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाकर उसका अंकन राजस्व रेकार्ड एंव नक्शे मे किया जाना निहायत आवश्यक एंव न्यायोचित है और इसीलिये प्रार्थीया की और से यह वादपत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश है। प्रार्थीया पूर्व के खातेदार माधू की विधिक वारिस होने के कारण उसका भी उक्त आराजीयात मे कानूनन हक एंव हिस्सा होने के साथ ही प्राथीया. का उक्त भूमियो मे 1/2 हक एंव हिस्से पर बराबर 15 से भी अधिक सालो में बराबर शान्तिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की जानकारी मे जगजाहिर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के ही पक्ष मे है और अगर अप्रार्थी संख्या 1 एंव 3 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो के कुछ अथवा कुलिया हिस्से को किसी अन्य को हस्तान्तरित कर दिया जाता है अथवा प्रार्थीया को जबरन भूमियो से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को पुनः भूमि पर कब्जा। प्राप्त करने के लिये अनेकोनेक मुकदमेबाजियो मे उलझना पड़ेगा इस प्रकार प्रार्थीया को होने वाली क्षति को किसी भी सूरत मे पूरा नही किया जा सकेगा जिसका कि अर्थ मे मूल्याकंन किया जाना संभव नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथी संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावे कि वो वादग्रस्त आराजीयात के कुछ अथवा कुलिया हिस्से को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे करावे और ना ही प्रार्थीया के वादग्रस्त भूमियो पर चले आ रहे कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का कोई दखल करे करावे ओर ना ही प्रार्थीया को भूमियो से जबरन बेदखल करे करावे ओर ना ही अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

संख्या 4 धानवास्त भूमियो के सम्बन्ध लिखे गये किसी भी दस्तावेज का पंजीयन करे करावे और ना ही राजस्व रेकार्ड से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करे करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री दीपक पंचोली एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफा का सही शजरा निम्नानुसार है।

माधू फौत

फेफा — चन्दा फौत

मदन लाल — राधेश्याम फौत — छाउ — रानी — सुगना

ललिता (मदन लाल) — रमेश देवी (राधेश्याम फौत)

अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफा अपनी सम्पूर्ण भूमि मे स्वयं काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। परन्तु ग्राम कुंचलवाडा खुर्द की आराजी खसरा संख्या 140/2 रकबा 1-08 बीघा एंव आ0सं0 683/143 रकबा 0-11 बीघा कुल किता 02 रकबा 1-19 बीघा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा एंव आराजी संख्या 685/176 रकबा 3-17 बीघा मे से 40/77 हिस्सा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफा को पारिवारिक कार्यो के लिए रकम की आवश्यकता होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता को कीमत 6 लाख रू0 की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन ललिता के पक्ष मे दिनांक 23.07.2021 को करवा दिया। जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखो मे ललिता मीणा खातेदार काश्तकार हो गई, तब से ही उक्त रकबो मे अप्रार्थी संख्या 3 ललिता मीणा काबिज होकर काश्त कर, उपयोग उपभोग कर रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 फेफा मीणा स्वयं खातेदार काश्तकार है व शारिरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है तथा स्वयं अपनी कृषि भूमि की देखरेख कर, काश्तकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तथा उसने कभी भी अपनी भूमि का बंटवाडा अपने वंशजो मे नही किया है। और उसने अपनी पारिवारिक आवश्कताओ की पूर्ति करने के लिए स्वस्थ चित से अप्रार्थीगण संख्या 3 के पक्ष मे पंजीयन- पत्र स्वेच्छा से गवाहो की मौजूदगी मे निष्पादित किया है। अप्रार्थीगण संख्या-3 ललिता देवी सद्भावी केता है तथा ग्राम कुंचलवाडा खुर्द की आराजी खसरा संख्या 140/2 रकबा 1-08 बीघा एंव आ0सं0 683/143 रकबा 0-11 बीघा कुल किता 02 रकबा 1-19 बीघा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा एंव आराजी संख्या- 685/176 रकबा 3-17 बीघा मे से 40/77 हिस्सा भूमि मे खातेदार काश्तकार होकर, कब्जेदार है। प्रार्थीया का मौके पर कब्जा होने का तथ्य गलत है। स्वयं खातेदार कब्जेदार काश्तकार है व शारिरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है तथा स्वयं अपनी कृषि भूमि की देखरेख कर, काश्तकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तथा उसने कभी भी अपनी भूमि का बंटवाडा अपने वंशजो मे नही किया है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति स्व० राधेश्याम शुरू से ही अपने पिता व परिवार से अलग निवासरत होने के कारण तथा फेफाराम की सेवा-श्रुषा स्व० राधेश्याम व वादिया ने कभी नही की राधेश्याम काफी बीमार रहा और उसके ईलाज का काफी खर्चा अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफाराम ने ही किया तथा प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् अन्तिम संस्कार से लेकर सारे सामाजिक खर्चे रीति रिवाज अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफाराम ने ही किये। इस कारण से अप्रार्थीगण संख्या 1 पर काफी कर्जा हो गया। इसी पारिवारिक आवश्यकता के कारण ग्राम कुंचलवाडा खुर्द की आराजी खसरा संख्या 140/2 रकबा 1-08 बीघा एंव आ0सं0 683/143 रकबा 0-11 बीघा कुल किता 02 रकबा 1-19 बीघा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा एंव आराजी खसरा संख्या 685/176 रकबा 3-17 बीघा मे से 40/77 हिस्सा भूमि उसने अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता देवी को 6 लाख रू0 मे विक्रय कर, पंजीयन करवाया। तब से ही अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता काबिज

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

खातेदार काश्तकार है। इसलिए उक्त तीनो आराजी नम्बरो मे अप्रार्थी संख्या 1 फेफाराम का कोई हिस्सा हक शेष नही रहा है। इसलिए तीनो आराजी नम्बरो मे प्रार्थीया रमेश देवी का कोई हिस्सा नही बनता है। इसी प्रकार शेष आराजी नम्बर 682/141, 688/182, 687/176 मे प्रार्थीया का सही सजरे अनुसार 1/6 हक हिस्सा ही बनता है किन्तु प्रार्थीया ने गलत सजरा पेश कर न्यायालय को मुगालता देकर 1/2 हक हिस्से की मांग की है, जो गलत है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता अपनी कयशुदा भूमियो पर काबिज होकर काश्त कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीया रमेश देवी अपने पति राधेश्याम की मृत्यु से पूर्व अपने पीहर झाली का बराना (बूंदी) मे निवास कर रही है। इसलिए उक्त भूमियो पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त होने का कथन असत्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व अप्रार्थीगण संख्या 3 वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार है, इसलिए उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने पूर्व मे अपनी भूमि का बटवारा अपने वारिसानो मे कभी नही किया, प्रार्थीया रमेश देवी अपने पति राधेश्याम की मृत्यु से पूर्व अपने पीहर झाली का बराना (बूंदी) मे निवास कर रही है। इसलिए उक्त भूमियो पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त होने का कथन असत्य है। प्रार्थीया का सही सजरे अनुसार शेष फेफाराम के नाम की भूमियो मे 1/6 हक हिस्सा ही बनता है किन्तु प्रार्थीया ने गलत सजरा पेश कर न्यायालय को मुगालता देकर 1/2 हक हिस्से की माग की है, जो गलत है, इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात समस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद है। उपरोक्त जायदाद मे से कोई भी सम्पति अप्रार्थीगण सं. 1 की स्व अर्जित सम्पति नही है। प्रार्थीया पूर्व के खातेदार माधू की विधिक वारिस होने के कारण उसका भी उक्त आराजीयात मे कानूनन हक एंव हिस्सा होने के साथ ही प्राथीया का उक्त भूमियो मे 1/2 हक एव हिस्से पर बराबर 15 से भी अधिक सालो में बराबर शान्तिपूर्ण तरीके से बिना किसी बाधा के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की जानकारी मे जगजाहिर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के ही पक्ष मे है और अगर अप्रार्थी संख्या 1 एंव 3 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो के कुछ अथवा कुलिया हिस्से को किसी अन्य को हस्तान्तरित कर दिया जाता है अथवा प्रार्थीया को जबरन भूमियो से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को पुनः भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये अनेकोनेक मुकदमेबाजियो मे उलझना पड़ेगा इस प्रकार प्रार्थीया को होने वाली क्षति को किसी भी सूरत मे पूरा नही किया जा सकेगा जिसका कि अर्थ मे मूल्याकंन किया जाना संभव नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथी संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराना फरमावे कि वो वादग्रस्त आराजीयात के कुछ अथवा कुलिया हिस्से को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे करावे और ना ही प्रार्थीया के वादग्रस्त भूमियो पर चले आ रहे कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का कोई दखल करे करावे ओर ना ही प्रार्थीया को भूमियो से जबरन बेदखल करे करावे ओर ना ही अप्रार्थी संख्या 4 वादग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध लिखे गये किसी भी दस्तावेज का पंजीयन करे करावे ओर ना ही राजस्व रेकार्ड से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करे करावे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना फरमावे। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पुश्तैनी एवं पारिवारिक विवाद की स्थिति में रेकार्डेड खातेदारों के खिलाफ भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति स्व० राधेश्याम शुरू से ही अपने पिता व परिवार से अलग निवासरत होने के कारण तथा फेफाराम की सेवा–श्रुपा स्व० राधेश्याम व वादिया ने कभी नही की राधेश्याम काफी बीमार रहा और उसके ईलाज का काफी खर्चा अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफाराम ने ही किया तथा प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् अन्तिम संस्कार से लेकर सारे सामाजिक खर्चे रीति रिवाज अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 फेफाराम ने ही किये। इस कारण से अप्रार्थीगण संख्या 1 पर काफी कर्ज हो गया। इसी पारिवारिक आवश्यकता के कारण ग्राम कुंचलवाडा खुर्द की आराजी खसरा संख्या–140/2 रकबा 1–08 बीघा एंव आ0सं0–683/143 रकबा 0–11 बीघा कुल किता 02 रकबा 1–19 बीघा भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा एंव आराजी खसरा संख्या 685/176

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

रकबा 3–17 बीघा मे से 40/77 हिस्सा भुमि उसने अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता देवी को 6 लाख रू0 मे विकय कर, पंजीयन करवाया। तव से ही अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता काविज खातेदार काश्तकार है। इसलिए उक्त तीनो आराजी नम्बरो मे अप्रार्थी संख्या 1 फेफाराम का कोई हिस्सा हक शेष नही रहा है। इसलिए तीनो आराजी नम्बरो मे प्रार्थीया रमेश देवी का कोई हिस्सा नही बनता है। इसी प्रकार शेष आराजी नम्बर 682/141, 688/182, 687/176 मे प्रार्थीया का सही सजरे अनुसार 1/6 हक हिस्सा ही बनता है किन्तु प्रार्थीया ने गलत सजरा पेश कर न्यायालय को मुगालता देकर 1/2 हक हिस्से की मांग की है, जो गलत है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ललिता अपनी क्रयशुदा भूमियो पर काविज होकर काश्त कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व अप्रार्थीगण संख्या 3 वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार है, इसलिए उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायसंगत नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने पूर्व मे अपनी भूमि का वटवारा अपने वारिसानो मे कभी नही किया, प्रार्थीया रमेश देवी अपने पति राधेश्याम की मृत्यु से पूर्व अपने पीहर झाली का बराना (बूंदी) मे निवास कर रही है। इसलिए उक्त भूमियो पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीया का सही सजरे अनुसार फेफाराम के नाम की शेष भूमियो मे 1/6 हक हिस्सा ही बनता है किन्तु प्रार्थीया ने गलत सजरा पेश कर न्यायालय को मुगालता देकर 1/2 हक हिस्से की मांग की है, जो गलत है, अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होकर विरासत से अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी भूमि पुश्तैनी होने के संबध में किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई है। दोनो पक्ष इस बात पर सहमत है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजी में से कुछ हिस्से का अप्रार्थी सं. 3 के नाम पर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 अप्रार्थी सं. 1 के बेटे मदनलाल की पत्नि है। प्रार्थिया का तर्क है की अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बिकावनामा गैर सदभावी तरीके से अप्रार्थी सं. 1 की वृद्धावस्था एवं मानसिक अस्वस्थता का लाभ उठाकर एवं उस पर दवाव बनाकर प्रार्थिया की बिना किसी सहमति के लिखवाया है जबकि अप्रार्थीगण का तर्क है की प्रार्थिया के पति राधेश्याम की बीमारी के इलाज एंव मृत्यु उपरान्त सामाजिक खर्चो के कारण अप्रार्थी सं. 1 फेफाराम पर हुए कर्जे को चुकाने के लिए फेफाराम द्वारा उक्त विकय सद्भावी तौर पर किया गया है। विवादित आराजियात, जो कि पुश्तैनी है, के संबध में प्रार्थिया द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से की घोषणा बाबत वाद पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वताया गया है कि प्रार्थिया द्वारा बताये गये वारिसान के अलावा अप्रार्थी सं. 1 के अन्य वारिसान भी है इसलिये उनके द्वारा प्रार्थिया का हक हिस्सा 1/2 न होकर 1/6 होना बताया है। साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विकय की गई भूमि के अलावा अप्रार्थी सं. 1 की शेष भूमि में ही प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा होना बताया है। प्रार्थिया का कितना हिस्सा है और यह अप्रार्थी सं. 1 की विकय से पूर्व की संपूर्ण भूमि में है अथवा विकय के वाद शेष भूमि में है, यह विचारण के दौरान तय किया जायेगा। परन्तु प्रार्थिया द्वारा विवादित आराजियात में स्वंय के हिस्से की घोषणा बाबत विचारण हेतु एक सदभावी वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थिया के पक्ष मे

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

प्रथम दृष्टया केस पाया गया है। यदि प्रार्थिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का विक्रय किये जाने की आशंका है जिससे वाद बाहुल्यता बढ सकती है। एवं प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि प्रार्थिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो भूमि की यथास्थिति बनी रहेगी एवं अप्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग में कोई असुविधा नही होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थिया के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम कूचलवाड़ा खुर्द पटवार हल्का टीकड़ मे स्थित आराजी संख्या 140/2 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी संख्या 682/141 रकबा 0.2052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 688/182 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, आराजी संख्या 683/143 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी संख्या 685/176 रकबा 0.8316 हैक्टेयर में स्वंय के हिस्से को मूल वाद के निस्तारण तक हस्तांतरण नही करें। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner